बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :- 203303 पटना, दिनांक :- 26/09/14

ग्रा0वि0-2/स्था0(चालक)-04-1/2012

ग्रामीण विकास विभाग में चालक के रिक्त तीन पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विधिवत योग्यता जॉच के उपरान्त निम्नांकित अभ्यथियों को उनके मेधाक्रम के आधार पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	कुल प्राप्तांक	आरक्षण श्रेणी
1	श्री हरे कृष्ण पाल, पिता-श्री नारायण पाल, ग्राम एवं पो0- भेलागंज, थाना- बलिया बेलौन, जिल- कटिहार, पीन कोड- 854317	02.01.1984	89	अनारक्षित
2	श्री मुनौवर अली , पिता-मो0 मुस्तफा, ग्राम एवं पो0- मिर्जापुर, थाना- मढ़ौरा, जिल- सारण, पीन कोड- 841419	22.01.1973	72	पि0व0
3	श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री सीताराम सिंह, क्वार्टर संख्या-12, बेली रोड, पटना ।	18.01.1977	68	अ0पि0व0

2. उक्त नियोजित कर्मियों को प्रतिमाह 12600/-(बारह हजार छ: सौ) रूपये मात्र मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

3. संविदा पर नियुक्ति के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

4. सभी नियोजित कर्मी को स्वास्थ्य जॉच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वास्थ्य जॉच प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा ।

5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक का अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।

6.प्रथम चरण में यह नियोजन छ: माह की अवधि के लिए होगा तथा आवश्यकता एवं कर्मचारी के आचरण को देखते हुए प्रत्येक बार छ:-छ: माह की अवधि के लिए नियोजन का विस्तार किया जा सकगा।

7. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वत: समाप्त समझी जायेगी । इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

8. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति के द्वारा संलग्न परिशिष्ट-1 में विहित किये गये प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।

9. यह नियोजन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक ही मान्य होगा ।

10. रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के उपरान्त यह नियोजन स्वत: समाप्त हो जाएगा तथ इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में उन्हे वगैर सूचना के हटाया जा सकता है ।

11. उक्त सभी कर्मियों के संबंध में चरित्र प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र का सत्यापन होने एवं नियोजन के उपयुक्त पाए जाने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा ।

12. योगदान के समय नियमित ड्राईविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

26/9/14

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 203303 पटना, दिनांक:- 26/09/14

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 203303 पटना, दिनांक :- 26/09/14

प्रतिलिपि :- विभागीय लेखा शाखा को (दो प्रतियों में)/सभी उपरोक्त नियोजित चालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव